

नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पशुपति नाथ गुददर बाबा मठ बरडीहा दल के अर्न्तगत कृषि योग्य भूमि मौजा बरडीहा दल में रकबा 21.138 हेक्टेयर, मौजा अहिरौली में कृषि योग्य भूमि रकबा 2.302 हेक्टेयर एवं मौजा डम्बरपुर में कृषि योग्य भूमि रकबा 3.533 हेक्टेयर का (खरीफ व रबी) दो फसली की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु दिनांक 30.05.2024, दिनांक 06.06.2024 एवं 16.07.2024 को नियत की गयी थी। किसी भी बोलीकर्ता के उपस्थित न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा सकी। वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु खरीफ की फसल की नीलामी नहीं हो सकी एवं खरीफ की फसल बोने का समय भी समाप्त हो चुका है।

अतः पुनः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मानित आदेश दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में बरडीहा दल मठ में कृषि योग्य भूमि मौजा बरडीहा दल में रकबा 21.138 हेक्टेयर, मौजा अहिरौली में कृषि योग्य भूमि रकबा 2.302 हेक्टेयर एवं मौजा डम्बरपुर में कृषि योग्य भूमि रकबा 3.533 हेक्टेयर का (रबी) एक फसली की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु दिनांक 17.09.2024 को अपराह्न 01.30 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में दस कक्षीय न्यायालय भवन में स्थित केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देखरेख में नीलामी सम्पन्न होगी।

उक्त बरडीहा दल मठ के तीनों वर्णित मौजों में कृषि योग्य भूमि की नीलामी हेतु प्रारम्भिक धनराशि मु०-9,10,100.00/-रु० (नौ लाख दस हजार एक सौ रुपये मात्र) का 1/2 अर्थात् मु०-455050.00/-रु० (चार लाख पचपन हजार पचास रुपये मात्र) पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि समायोजित करते हुए मु०-5,00,555.00/-रु० (पाँच लाख पाँच सौ पचपन रुपये मात्र) को आधार मानकर प्रारम्भ की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन नीलामी की बोली में भाग ले सकते हैं।


नीलामी की शर्तें


- 1- प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व बरडीहा दल मठ में कृषि योग्य भूमि हेतु मु० 50,055.50/-रु० (पचास हजार पचपन रुपये पचास पैसे मात्र) अर्थात् मु० 50,056.00/-रु० (पचास हजार छप्पन रुपये मात्र) बतौर जमानत के रूप में कार्यालय नजारत जजी देवरिया में जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।
- 2- बरडीहा दल मठ में कृषि योग्य भूमि हेतु नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को हैसियत प्रमाण-पत्र एवं आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3- कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति/ठेकेदार के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/ठेकेदार का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो।
- 4- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रूप में तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा। जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- 5- प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6- जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी में भाग लेने का हकदार नहीं होगा।


7- नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 17.09.2024 को कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे पूर्वाह्न 10.00 बजे तक समस्त प्रपत्रो के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

8- नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी।


सदस्य,

29/08/24
(विवेक कुमार सिंह-II),
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।


सदस्य,

29/08/2024
(संजय कुमार सिंह-III),
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।


अध्यक्ष,

29/08/24
(छाया नैन), 29/08/24
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :-

- 1- सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।
- 07- बरडीहा दल मठ के चौकीदार को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।

सदस्य,

29/08/24
(विवेक कुमार सिंह-II),
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

सदस्य,

29/08/2024
(संजय कुमार सिंह-III),
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

अध्यक्ष,

29/08/24
(छाया नैन), 29/08/24
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।